अ.शा.परिपत्र संख्या-डीजी- 10 /2014

रिजवान अहमद
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनॉकः फरवरी 15, 2014

प्रिय महोदय,

विगत कुछ समय से यह देखने में आया है कि विभिन्न जनपदों में कतिपय भूमि सम्बन्धी विवादों के परिणाम स्वरूप हत्या जैसी गम्भीर घटनाएं घटित हुई हैं जो बहुत ही चिन्ता का विषय है। अपराधों के कारणों का विश्लेषण करने पर सम्पत्ति/भूमि विवाद तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिद्वंदिताओं और तनाव से उत्पन्न विवाद/रंजिश के तथ्य प्रकाश में आये है। ऐसे विवादों को चिन्हित कर उनका थानास्तर पर निराकरण समय से किया गया होता तो कदाचिंत हत्या या अन्य गम्भीर घटनाओं को रोका/टाला जा सकता था। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्यालय स्तर से विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जनपदों द्वारा कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कतिपय जनपदों में इस प्रकार की घटनाओं में वृद्धि होना इसका द्योतक है।

पूर्व में जो भी दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे· उनमें अपेक्षा की गई थी कि विवाद/रंजिश के प्रकरणों में निर्गत निर्देशों के अनुरूप प्रभावी कार्यवाही की जायेगी परन्तु अभी हाल हीं में कतिपय जनपदों में भूमि सम्बन्धी विवाद के कारण हत्या जैसी गम्भीर घटना घटित हुई जिसमें रंजिश की या तो पुलिस को पूर्व से जानकारी नही थी, या जानकारी रहने पर भी प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही नहीं की गई थी। मुख्यालय स्तर से निर्गत निर्देशों का संज्ञान नहीं लिया गया है जो अत्यन्त खेद का विषय है।

साधारण एवं गम्भीर घटनाओं पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करने एवं विवाद/रंजिश के मामलों को चिन्हित कर उनका समय से निराकरण करने हेतु पूर्व में निर्गत निर्देशों के क्रम में पुनः अपेक्षा की जाती है कि निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल किया जायः-

- थाना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाय कि ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर की प्रविष्टियॉ अद्यावधिक है, और हल्का उप निरीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त विवादों की निगरानी की जा रही है।
- थानास्तर पर ग्राम/मुहल्लों में प्रचलित अथवा उत्पन्न तनाव व विवादों को हल्का उप निरीक्षक/बीट आरक्षी द्वारा चिन्हित किया जाय।
- प्रत्येक हल्का उप निरीक्षक द्वारा माह में कम से कम 02 बार अपने हल्के के अन्तर्गत समस्त ग्राम/मोहल्लों का भ्रमण कर तनाव व विवाद के समस्त प्रकरणों का चिन्हांकन किया जाय तथा उसका अंकन ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर में किया जाय। यदि कोई नया विवाद प्रकाश में आता है तो उसका भी अंकन कर सतत् निगरानी की जाय।
- बीट आरक्षी की बीट बुक का थाना प्रभारी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाय एवं सुनिश्चित किया जाय कि बीट आरक्षी द्वारा अपने बीट क्षेत्र की लाभप्रद सूचनाएं क्रमवार अंकित की जा रही है।
- थाना प्रभारी द्वारा रजिस्टर नं0 8 के भाग 4 को अद्यावधिक रखा जाय। इस रजिस्टर की प्रविष्टियॉ थानाध्यक्ष द्वारा स्वयं अपने हस्तलेख में किया जाय।
- भूमि विवाद के प्रकरणों में राजस्व कर्मियों के सहयोग से यथासम्भव भूमि सम्बन्धी विवादों का निस्तारण कराया जाय।
- धारा 107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत मात्र औपचारिक कार्यवाही न कर प्रभावी कार्यवाही की जाय तथा आक्रामक पक्ष के विरूद्ध धारा 116(3) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत भारी जमानत से पाबन्द कराया जाय।

- धारा 116(3) द0प्र0सं0 के अधीन पाबन्दी की शर्तो का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित पक्षकारों के विरूद्ध रिपोर्ट देकर मुचलका धनराशि जब्त करायी जाय।
- प्रत्येक थानाक्षेत्र में पेशेवर हत्यारों व अवैध शस्त्र बनाने वालों को चिन्हित कर उनकी सतत् निगरानी की जाय। प्रतिकूल गतिविधियॉ प्रकाश में आने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जाय।
- प्रत्येक क्षेत्राधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में 107/116 द0प्र0सं0 सम्बन्धी रजिस्टर तैयार किया जाय जिसमें थाने से प्राप्त हो रही चालानी रिपोर्ट का लेखा जोखा रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यवाही ठोस कारणो पर आधारित है।
- जमीनी या अन्य विवाद/रंजिश से सम्बन्धित कोई भी प्रार्थना पत्र किसी पक्ष द्वारा पुलिस कार्यालय, क्षेत्राधिकारी कार्यालय अथवा थानास्तर पर प्राप्त होता है तो उस प्रार्थना पत्र की जॉच की जाये व आवश्यक वरीयता पर कार्यवाही की जाये, यदि किसी प्रार्थना पत्र में कार्यवाही लम्बित रहने की दशा में कोई घटना घटित होता है तो उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित अधिकारी की तय करते हुए दण्डित किया जाय।
- राजपत्रित अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण अवश्य किया जाय और थाने के निरीक्षण के समय ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर, बीट रजिस्टर और रजिस्टर नं0 8 के भाग 4 का अनिवार्य रूप से निरीक्षण अवश्य किया जाय एवं उपयुक्त प्रकरणों में समुचित निर्देश भी निर्गत किए जायें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक थाने पर बीट व्यवस्था सक्रिय कर पुरानी रंजिश के सभी मामलों को चिन्हित कर आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही समय से की जाय ताकि हत्या जैसी गम्भीर घटना घटित न होने पाये। परिपत्र में दिये गये निर्देशों को अपने अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को अवगत करा दे कि दिये गये निर्देशों अनुरूप कार्यवाही करायी जाय, कृत कार्यवाही का अनुसरण प्रत्येक स्तर के पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाय और मामले में शिथिल कार्यवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को दण्डित भी किया जाय।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन यदि थानास्तर पर गंभीरतापूर्वक किया जायेगा तो भूमि सम्बन्धी विवादों में हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर अंकुश लगेगा।

भवदीय

(रिजवान अहमद)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/रेलवेज उ0प्र0 ।

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रेषित -

1. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र, उ0प्र0।
2. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स, उ0प्र0।